

FORM No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

2025
70

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा

उनवान

श्री कमलेश मेघवंशी निवासी पुलिस
लाईन के पीछे सांदिपनी स्कूल के
पास विवेकानन्द नगर भीलवाडा

बनाम जिला खेल अधिकारी भीलवाडा

किस्म मुकदमा-अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर0टी0आई0

प्रकरण संख्या : 30 / 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15.05.2025	<p>1. अपील अपीलार्थी पेश हुई। जिसे दर्ज रजिस्टर की जावें। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अतर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। जिसमें अपीलार्थी द्वारा सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाडा को प्रस्तुत आवेदन के विरुद्ध प्रथम अपील की गई।</p> <p>2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाडा के पत्र क्रमांक 20081 दिनांक 07.04.2025 से लोक सूचना अधिकारी जिला खेल अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित की गई।</p> <p>3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अपील मूल ही अपीलार्थी को लौटाकर लेख है कि उक्त आवेदन सक्षम प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली फ़ैसल शूमार हो। दर्ज रजिस्टर से कम करे।</p>	

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाडा